POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 10.05.2026

1. थाना सेक्टर-63 पुलिस द्वारा ई-रिक्शा चोरी करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे/निशानदेही से चोरी के 03 ई-रिक्शा बरामद ।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **10.05.2026** को थाना सेक्टर-63 पुलिस द्वारा लोकल इंटेलिजेंस व गोपनीय सूचना की सहायता से ई-रिक्शा चोरी करने वाले 03 अभियुक्तगण 1. अंकित यादव पुत्र सुरेन्द्र यादव 2. शिवम नागर पुत्र सुभाष चन्द्र 3. शशि भूषण ठाकुर पुत्र अशोक ठाकुर को एफएनजी गोलचक्कर के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे/निशानदेही से चोरी के 03 ई-रिक्शा बरामद किए गए हैं ।

पूछताछ का संक्षिप्त विवरण--

पूछताछ के दौरान अभियुक्त अंकित यादव ने बताया कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर ई-रिक्शा चोरी किए थे। अभियुक्त द्वारा बताया गया कि चोरी की गई ई-रिक्शाओं को वे 1–2 दिन के भीतर बेचने की योजना बना रहे थे। अभियुक्त द्वारा यह भी बताया कि चोरी की गई तीनों ई-रिक्शाओं की बैटरियां निकालकर उन्होंने राह चलते एक फेरी वाले को बेच दी थीं। प्राप्त धनराशि को तीनों ने आपस में बराबर-बराबर बांट लिया, जिसे उन्होंने अपने खाने-पीने एवं घूमने-फिरने में खर्च कर दिया ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1- अंकित यादव पुत्र सुरेन्द्र यादव निवासी ग्राम छिजारसी, थाना सेक्टर-63, गौतमबुद्धनगर उम्र लगभग 22 वर्ष, शिक्षा- 10वीं पास।

2- शिवम नागर पुत्र सुभाष चन्द्र निवासी ग्राम छिजारसी, थाना सेक्टर-63, गौतमबुद्धनगर उम्र लगभग 21 वर्ष, शिक्षा- 8 वीं पास।

3- शशि भूषण ठाकुर पुत्र अशोक ठाकुर निवासी ग्राम बहादुरपुर देवकली, थाना सुखपुरा, बलिया वर्तमान पता ग्राम छिजारसी, थाना सेक्टर-63, गौतमबुद्धनगर उम्र लगभग 24 वर्ष, शिक्षा- 10वीं पास।

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

मु0अ0सं0- 177/2026 धारा 303(2),317(5) बीएनएस, थाना सेक्टर-63, गौतमबुद्धनगर ।

बरामदगी का विवरण--

चोरी के 03 ई-रिक्शा।